कार्यालय जिला पंचायत गाजीपुर
अल्पकालिक ई–टेण्डरिंग सूचना

पत्रांक /जि0पं0गा0/2017–18 दिनांक

जिला पंचायत गाजीपुर के पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग वर्ष 2016–17 की 6 परियोजना एवं वर्ष 2017–18 की 16 परियोजना अर्थात कुल 22 अदद परियोजनाओं की निविदा दिनांक– 19.03.2018 से 26.03.2018 तक समय 12.00 बजे दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो ई–टेण्डरिंग वेबसाइड http:// etender.up.nic.in पर उपलब्ध है जो आन लाइन http:// etender.up.nic.in पर ही सबमिट किया जायेगा तथा दिनांक 26.03.2018 को ही 1.00 बजे अपरान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक हार्ड कापी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। दिनांक–26.03.2018 को समय 03.00 बजे दिन से टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्सियल बिड ई–टेण्डर के माध्यम से खोला जायेगा । विस्तृत जानकारी कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

नोट–

1.कार्य को पूर्ण करने की अवधि वर्षा काल सहित होगी ।

2.निविदा की वैधता प्राप्ति के दिनांक से 90 दिन के लिए होगी।

3.प्रत्येक निविदा के साथ निविदा शुल्क कालम न0 6 में निर्धारित शुल्क जो किसी राष्ट्रीय कृत बैक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, गाजीपुर के पक्ष में देय होगा अथवा जिला पंचायत गाजीपुर के जिला निधि खाता सख्या 39270201101799 यूनियन बैक आंफ इण्डिया में जमा कर अथवा जिला पंचायत गाजीपुर के रोकडिया के पास जमा कर रसीद मुल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।

4.निविदा डालने हेतु निविदा दाता को उपरोक्त बेवसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है निविदा डालने हेतु निविदा दाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइन प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नही है।

5.ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा वेबसाइट http:// etender.up.nic.in पर सबमिट करने की अन्तिम तिथि 26.03.2018 मध्यान्ह 12.00 बजे दिन तक एवं 26.03.2018 को अपरान्ह 03.00 बजे दिन से टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्सियल बिड कार्यालय में खोला जायेगा।

6.निविदा दाता द्वारा प्रत्येक निविदा की मूल प्रति अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,गाजीपुर के कार्यालय में दिनाक 26.03.2018.अपरान्ह 1.00 बजे अपरान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है।ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

7.धरोहर धनराशि किसी राष्ट्रीय बैक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट/डाकधर द्वारा जारी एन0एस0सी0/कार्यालय में नगद जमा कर रसीद निविदा प्रपत्र में निर्धारित किसी रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से तीन माह

तक बैध होनी चाहिए जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गाजीपुर के नाम बन्धक होगी। निविदा दाता को निविदा के रूप मे मु0 100.00 रूपया का स्टाम्प पेपर मु0 1.00 रूपया का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त एवं जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

8.निविदा दाता के लिए टी–4 टी–5 सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित करा कर टी–6 आदि मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

9.जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत गाजीपुर में निहित होगा।

10.पंजीकृत ठेकेदार को पंजीयन / नवीनीकरण की प्रमाणित छाया प्रति लगना अनिवार्य होगा ।

11–जी0एस0टी0नियमानुसार।

(सुभाष चन्द्र पाल) अभियन्ता जिला पंचायत गाजीपुर	(सुरेश कुमार) अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,गाजीपुर	(आशा देवी) अध्यक्ष जिला पंचायत,गाजीपुर

कार्यालय जिला पंचायत गाजीपुर

पृ0सं0: 781 /सा0नि0वि0 / जि0पं0गा0 / 2017–18 दिनांकः 17.3.18

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु–

1. कार्यालय जिलाधिकारी,गाजीपुर।
2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक,गाजीपुर।
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी,गाजीपुर।
4. कार्यालय लोक निर्माण विभाग,गाजीपुर।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी,बेसिक शिक्षा गाजीपुर।
6. कार्यालय नगर पालिका परिषद,गाजीपुर।
7. वित्तीय परामर्श दाता जिला पंचायत,गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।
8. रोकडिया जिला पंचायत,गाजीपुर।
9. एन0आइ0सी0 गाजीपुर को अपनी वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।
10. दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण '' तथा ''हिन्दुस्तान '' को इस आशय से कि अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में उक्त को प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,गाजीपुर।